माननीय पटना उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2496/2021

==========

1. प्रो. (डॉ.) चंद्रवती कुमारी पति- डॉ. जनार्दन जी, निवासी-बसुंधरा, रोड संख्या 10, राजीव नगर, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त, ए. एन. कॉलेज, पटना मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

2. प्रो. (डॉ.) युगेश्वर सिंह पिता- स्वर्गीय रघुनंदन सिंह निवासी-एक्सिस बैंक के निकट, फ्लैट संख्या 302, कमोला निकेतन, 1/24 विवेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड, पटना, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त ए. एन. कॉलेज, पटना, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

3. डॉ. धर्मेंद्र नारायण सिंह पिता-प्रभु नारायण सिंह निवासी-95 ई, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पाटलिपुत्र, पटना, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त बी. एस. कॉलेज, दानापुर, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

... ... याचिकाकर्ताओं

बनाम्

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. निदेशक, उच्च शिक्षा बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

4. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

5. निबंधक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

6. वित्त अधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

7. प्राचार्य, ए. एन. कॉलेज, पटना, जिला-पटना।

8. प्राचार्य, बी. एस. कॉलेज, दानापुर, पटना।

... ... प्रतिवादी

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता : श्री माधव प्रसाद यादाव, जीपी-23

मगध विश्वविद्यालय के लिए : मो. फैज़ अहमद, अधिवक्ता

==========

याचिकाकर्ताओं ने एक रिट दायर कर अपने अंतिम मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन बकाया सहित सभी सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता, जो 30 जून 2015 और 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त हुए, ने दावा किया कि वे 6 मार्च 2019 की सरकारी अधिसूचना के आधार पर वेतन वृद्धि और अतिरिक्त ग्रेच्युटी के हकदार हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी 06.03.2019 की अधिसूचना, विशेष रूप से, उसी के खंड 7 (iv) में 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्राप्त करने की ऊपरी सीमा के रूप में 20 लाख रुपये प्रदान किए गए थे, याचिकाकर्ता संख्या। 2 और 3, जो 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जो 01.04.2017 के बाद है, वे 06.03.2019 की अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के अनुसार ग्रेच्युटी के रूप में 10 लाख से अधिक प्राप्त करने के हकदार हैं।

माना गया: याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वर्ष में की गई सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं। अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि अतिरिक्त ग्रेच्युटी के दावे का सम्मान किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों के आधार पर इनकार करना उचित नहीं है। अदालत ने प्रतिवादियों को लागू ब्याज सहित तीन महीने के भीतर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया।

संदर्भित मामला: निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी.पी. मुंडिनामणि और अन्य ने सिविल अपील संख्या 2471/2023, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 में पारित किया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागिया
मौखिक निर्णय
तारीखः15-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि भूषण सिंह, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद यादव और मो. फैज़ अहमद, विद्वान अधिवक्ता मगध विश्वविद्यालय को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं की संख्या तीन है, जो क्रमशः 30.06.2015, 30.06.2017 और 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अंतिम मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन के बकाया सहित सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को जारी किए गए ज्ञापन संख्या 592 दिनांक 06.03.2019 के आलोक में ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश और पेंशन के बकाया जैसे सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है क्योंकि वे 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए हैं और याचिकाकर्ता संख्या 1 को देय तिथि से पेंशन का बकाया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना ऊपर बताए गए तरीके से शब्दबद्ध है; याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 3 की मूल प्रार्थना याचिकाकर्ताओं के अंतिम मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन का भुगतान करने और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.2019 के आलोक में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 मगध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से क्रमशः 30 जून 2015 और 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त हुए, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 मगध विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त हुए। जहां तक याचिकाकर्ताओं के अंतिम

मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन के भुगतान का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.08.2008 (रिट याचिका के अनुलग्नक-1) का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा सीसीएस (आरपी) नियम 2008 के अनुसार वेतन वृद्धि की एक समान तिथि प्रदान की गई है, जो संशोधित वेतन संरचना के कार्यान्वयन के बाद प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई है।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निदेशक **(प्रशासन और मानव संसाधन)**, **केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनामानी और अन्य** मामले में **सिविल अपील संख्या 2471/2023** दिनांक 11 अप्रैल, 2023 **में पारित** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हवाल देते हुए आगे तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता क्रमशः 30.06.2015 और 30.06.2017 पर सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए वे याचिकाकर्ताओं के अंतिम मूल वेतन में एक वृद्धि जोड़ने के बाद मूल वेतन और गणना की गई पेंशन का भुगतान करने के हकदार हैं।

6. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को उपदान के भुगतान का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अब तक उपदान के रूप में 10-10 लाख रुपये प्राप्त किये हैं। हालांकि, **बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव** द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.2019 (रिट याचिका के अनुलग्नक – 4) का हवाला देते हुए विशेष रूप से उसी के खंड 7 (iv) में यह तर्क दिया गया है कि चूंकि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्राप्त करने की ऊपरी सीमा 20 लाख निर्धारित की गई है। इसलिए याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 ने अब तक उपदान के रूप में 10-10 लाख रुपये प्राप्त किये है 2 और 3 जो 30.06.2017 पर सेवानिवृत्त हुए हैं, जो की 01.04.2017 के बाद है, वे दिनांक 06.03.2019 की अधिसूचना के अनुसार उपदान के रूप में 10 लाख से अधिक प्राप्त करने के हकदार हैं।

7. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एवं 4 से 6 ने जवाबी हलफनामे दायर किए हैं।

8. जहाँ तक एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 7,8,9 और 10 में यह निम्नानुसार कहा गया हैः

"7. यह विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार सेवांत लाभों की गणना के उद्देश्य से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति की अगली तारीख पर देय हो, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एकीकृत नहीं है, जो नीचे उल्लिखित कारण से सही नहीं है।

8. यह विनम्रता पूर्वक कहा जाता है कि हाल ही में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ ने रिट याचिका संख्या 146967 (एस-कैट) (भारत संघ और अन्य बनाम एम. सिद्धराज) में दिनांक 22.10.2020 के आदेश के तहत निर्णय (वर्तमान रिट आवेदन के अनुलग्नक-2 और 3) पर भरोसा करने के बाद भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश दिनांक 22.10.2020 को इस अधिनियम की बेहतर सराहना के लिए रिकॉर्ड में लाया जा रहा है।

9. यह विनम्रता पूर्वक कहा जाता है कि भारत संघ ने दिनांक 22.10.2020 के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. दायर किया जो एस. एल. पी. (सी) संख्या 4722/2021 (भारत संघ और अन्य बनाम एम. सिद्दराज) जिस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 05.04.2021 के आदेश के तहत से दिनांक 22.10.2021 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और आगे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30.02.2021 को उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

10. यह विनम्रता पूर्वक कहा जाता है कि अगली तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का मुद्दा, वेतन वृद्धि का हकदार है । अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना है और इस मुद्दे पर एसएलपी पर निर्णय लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता का दावा अपरिपक्व है।"

9. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त उपदान का भुगतान का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 14 में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः-

"14. कि यह कहा गया है कि उपरोक्त संकल्प के खंड-7 (iv) में यह प्रावधान है कि ग्रेच्युटी के तहत 20 लाख रुपये का भुगतान स्वीकार्य होगा। जबकि सभी याचिकाकर्ता 1.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए वे उपदान राशि के रूप में 20 लाख रुपये के हकदार नहीं हैं।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारियों/प्रतिवादी संख्या 4 से 6 निम्नलिखित अर्ज करता हैः

10.1. जहाँ तक एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 10 में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः-

"10. यह सम्मानपूर्वक कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से अतिरिक्त 1 वेतन वृद्धि देने के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना एक नीतिगत मामला है, इसलिए 1 वेतन वृद्धि देने का कोई भी निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और भुगतान क़ानून में निहित प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

10.2. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त उपदान के भुगतान का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 11 में है। इसे निम्नानुसार कहा गया हैः-

"11. यह भी कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि अब तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 का 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में दावा की बात है, विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से वर्ष 2017 और 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को ग्रेच्युटी के लिए अंतर राशि के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसलिए, इस संबंध में राज्य सरकार से अनुदान जारी होने के बाद याचिकाकर्ता के संख्या 2 और 3 को भुगतान किया जाएगा।

11. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

12. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सं० 1 और 2 क्रमशः 30.06.2015 और 30.06.2017 को मगध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और याचिकाकर्ता संख्या 3 मगध विश्वविद्यालय से 30.06.2017 पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.08.2008 के अवलोकन से इसके खंड 2 (iii) से यह प्रतीत होता है कि सी. सी. एस. (आर. पी. नियम 2008 के अनुसार), संशोधित वेतन संरचना के कार्यान्वयन के बाद हर वर्ष 1 जुलाई से वेतन वृद्धि की एक समान तिथि तय की गई है। नतीजतन, उन कर्मचारियों के मामले में, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.01.2006 को पड़ती है, वेतन वृद्धि पूर्व-संशोधित वेतनमान में अहारित करने और वेतन वृद्धि को शामिल करने के बाद तालिका के अनुसार वेतन निर्धारित करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 को आहरित करना प्रस्तावित है।

13. इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या याचिकाकर्ता जो क्रमशः 30 जून, 2015 और 30 जून, 2017 को सेवानिवृत्त हुए हैं और अब सेवा में नहीं हैं, वे पिछले वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाएगा?

14. इसी प्रकार का मुद्दा कर्नाटक से मामले में **निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनामानी और अन्य सिविल अपील संख्या 2471/2023** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए उठाया गया था जिसमें, उस मामले में निर्धारण के लिए तैयार किया गया प्रश्न यह था कि क्या कोई कर्मचारी, जिसने वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद उसका हकदार है कि वह वेतनवृद्धि अर्जित करने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर उच्चतम न्यायालय ने सकारात्मक रूप से दिया है। ऊपर उल्लिखित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिणाम यह है कि जिन कर्मचारियों ने अच्छे व्यवहार और कुशलता के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले अपनी सेवाएँ देने के लिए अपनी सेवाओं के अंतिम दिन एक वार्षिक वृद्धि अर्जित की है, वे एक वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के हकदार हैं।

15. वर्तमान मामले में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि याचिकाकर्ता वेतनवृद्धि की अंतिम तिथि से एक और पूरे वर्ष के लिए सेवा करने के बाद क्रमशः 30 जून, 2015

और 30 जून, 2017 को सेवानिवृत्त हुए हैं, याचिकाकर्ताओं क्रमशः 1 जुलाई 2014 और 2016 के बाद क्रमशः 30 जून, 2015 और 30 जून, 2017 की सेवाओं के लिए वेतनवृद्धि का भुगतान करने के हकदार होंगे, इसके बावजूद कि याचिकाकर्ता इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

16. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में राज्य द्वारा एकमात्र आपत्ति यह है कि ऐसे मामले में वेतन वृद्धि के भुगतान का मुद्दा 2021 के एस. एल. पी. सी. संख्या 4722 (भारत संघ और अन्य बनाम एम. सिद्दराज) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

17. इस वृद्धि के भुगतान के संबंध में उस मुद्दे पर एक रुख अपनाने के अलावा कि ऐसा मामला उच्चतम मामले के समक्ष विचाराधीन है, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य-प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कोई अन्य आपत्ति नहीं ली गई है। याचिकाकर्ता ने एक पूरक हलफनामा दायर किया है, जिसमें एम. सिद्धराज (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में पारित आदेश, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा जवाबी हलफनामे में संदर्भित किया गया है, को पूरक हलफनामे के अनुलग्नक पी-9 के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है, यह दिखाने के लिए कि उक्त एसएलपी का निपटारा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.05.2023 के आदेश के तहत यह प्रावधान करते हुए कि इस अपील में उठाया गया मुद्दा की सिविल अपील संख्या 2471/2023 में पारित निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है जिसका निर्णय 11.04.2023 को **निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनामानी और अन्य** के मामले में हुआ था । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति, जिसमें कहा गया है कि इस रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है, अब नहीं रहती है और उक्त विशेष अनुमति याचिका में इसका उत्तर यह मानते हुए दिया गया है कि इस मुद्दे का निर्णय **निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनामानी एवं अन्य सिविल अपील संख्या 2471/2023** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ले लिया गया है।

18. प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं जताई है, सिवाय इसके कि यह

राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक नीतिगत मामला है और विश्वविद्यालय के अधिकारी राज्य सरकार के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

19. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति और **सिविल अपील संख्या 2471/2023 निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सी. पी. मुण्डिनामानी एवं अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किये जा रहे कानून को देखते हुए मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता जो कर्मचारी क्रमशः 30.06.2015 और 30.06.2017 पर सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पिछले वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त वृद्धि का भुगतान करने के हकदार हैं और उसके बाद उनकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा।

20. जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त उपदान के भुगतान का संबंध है, यह देखा गया है कि विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 06.03.2019 को अधिसूचना जारी की गई है जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न किया गया है। इसके खंड 7 (iv) में यह प्रावधान किया गया है कि 20 लाख रुपये उपदान की अधिकतम सीमा होगी। उन कर्मचारियों के रूप में जो 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।यह प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को यह तर्क देते हुए अतिरिक्त उपदान से इनकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 01.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 14 से देखा जा सकता है।

21. चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 30.06.2017 पर सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा जवाबी हलफनामे में लिया गया रुख यह है कि उपदान के रूप में 20 लाख की ऊपरी सीमा है इस आधार पर लागू नहीं होगा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 01.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त उपदान से इनकार करने के लिए उचित आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

22. प्रतिवादी संख्या 4 से 6 (विश्वविद्यालय के अधिकारियों) ने याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा अतिरिक्त उपदान की पात्रता से इनकार नहीं करते हुए जवाबी हलफनामे में यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से उन व्यक्तियों को

उपदान के लिए अंतर के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान देने का अनुरोध किया है जो वर्ष 2017 और 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे।

23. तदनुसार, चूंकि दिनांक 06.03.2019 की अधिसूचना की प्रयोज्यता, जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 का संबंध है, राज्य-प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं की गई है, मेरा विचार है कि प्रतिवादी अधिकारी दिनांक 06.03.2019 की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

24. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता हैः

(i) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उनकी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले यानी क्रमशः 30.06.2015 और 30.06.2017 के लिए एक साल की अतिरिक्त वृद्धि का भुगतान करें।

(ii) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापन संख्या 592 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में एक अतिरिक्त उपदान का भुगतान करें।

25. उपरोक्त निर्देशित भुगतान प्रतिवादी-प्राधिकरणों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर स्वीकार्य ब्याज, यदि कोई हो, के साथ किया जाएगा।

26. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

सिद्धार्थ सागर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।